न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 109/2023

प्रार्थीगण **बनाम** विप्रार्थीगण

प्रार्थीगण

1. चेनाराम पुत्र नारणाराम
2. हेमाराम पत्रु नारणाराम
3. आईदानराम पुत्र नारणाराम
4. चूनीदेवी पत्नि नारणाराम
जातियान जाट निवासी
धतरवालों की ढाणी, डण्डाली
तहसील सिणधरी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. भलाराम पुत्र राणाराम उम्र 49 वर्ष
2. खरथाराम पुत्र राणाराम उम्र 47 वर्ष
3. लूम्भाराम उम्र राणाराम उम्र 40 वर्ष
4. धनाराम पुत्र लाधाराम उम्र 59 वर्ष
5. भीमाराम पुत्र लाधाराम उम्र 57 वर्ष
जातियान जाट निवासी धतरवालों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
6. हड़मानराम पुत्र घेवाराम उम्र 30 वर्ष
7. दिनेश पुत्र घेवाराम उम्र 28 वर्ष
8. बबरी पत्नि घेवाराम उम्र 50 वर्ष
जातियान सुथार निवासी गोणेश्वर महादेव नगर तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
9. ओमप्रकाश दत्तक आदा उम्र 40 वर्ष
10. टोमा पुत्र देराज उम्र 80 वर्ष
11. मंगला पुत्र देराज उम्र 82 वर्ष
12. कुशलसिंह पुत्र नवाजी उम्र 30 वर्ष
13. पुखराज पुत्र चूना उम्र 42 वर्ष
14. बाबूसिंह पुत्र चूना उम्र 45 वर्ष
15. भूरा पुत्र धना उम्र 85 वर्ष
16. मीठालाल पुत्र नवाजी उम्र 45 वर्ष
17. रावतसिंह पुत्र चूना उम्र 35 वर्ष
18. देवीसिंह पुत्र सवाजी उम्र 42 वर्ष
19. गुमानसिंह पुत्र सवाजी उम्र 40 वर्ष
20. आम्बसिंह पुत्र सवाजी उम्र 38 वर्ष
21. जीवराजसिंह पुत्र सवाजी उम्र 27 वर्ष
22. जबरसिंह पुत्र सवाजी उम्र 25 वर्ष
23. दलपतसिंह पुत्र सवाजी उम्र 22 वर्ष
24. साकूदेवी पत्नि सवाजी उम्र 70 वर्ष
25. आम्बसिंह पुत्र भंवरसिंह उम्र 45 वर्ष
26. कालूसिंह पुत्र प्रतापा उम्र 60 वर्ष
27. कालूसिंह पुत्र भंवरसिंह उम्र 48 वर्ष
28. गोरधनसिंह पुत्र उतमा उम्र 37 वर्ष
29. गोविन्दसिंह पुत्र मंगला उम्र 40 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.14 11:09:49 IST
Reason: SelfAttested

32. निम्बसिंह पुत्र अगरसिंह उम्र 63 वर्ष
33. पांची पत्नि मांगीराम उम्र 68 वर्ष
34. भंवरी पत्नि आसूसिंह उम्र 70 वर्ष
35. भीखसिंह पुत्र उतमा उम्र 52 वर्ष
36. विशनसिंह पुत्र मिश्रसिंह उम्र 46 वर्ष
37. मानसिंह पुत्र अगरा उम्र 65 वर्ष
38. लाधूसिंह पुत्र उतमा उम्र 46 वर्ष
39. वागसिंह पुत्र मंगलसिंह उम्र 46 वर्ष
जातियान पुरोहित निवासी डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
40. तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण, प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 28.12.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल डण्डाली मौजा धतरवालों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 550 रकबा 1.9012 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 551 रकबा 3.8589 हैक्टेयर कुल रकबा 5.7601 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार [illegible] पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओं [illegible] बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा [illegible] पटवार मण्डल डण्डाली मौजा धतरवालों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 550 [illegible] 1.9012 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 551 रकबा 3.8589 हैक्टेयर कुल रकबा 5.7601 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.14 11:09:49 IST
Reason: SelfAttested

को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल डण्डाली मौजा धतरवालों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 550 रकबा 1.9012 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 551 रकबा 3.8589 हैक्टेयर कुल रकबा 5.7601 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल डण्डाली मौजा धतरवालों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 550 रकबा 1.9012 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 551 रकबा 3.8589 हैक्टेयर कुल रकबा 5.7601 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल डण्डाली मौजा धतरवालों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 550 रकबा 1.9012 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 551 रकबा 3.8589 हैक्टेयर कुल रकबा 5.7601 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.14 11:09:49 IST
Reason: SelfAttested

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल डण्डाली मौजा धतरवालों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 550 रकबा 1.9012 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 551 रकबा 3.8589 हैक्टेयर कुल रकबा 5.7601 हैक्टेयर के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

जावे। कमिश्नर फीस 500/ प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 28.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.14 11:09:49 IST
Reason: SelfAttested